प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.03.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि मुकिम पुत्र मोतिन निवासी जानू पानी प्लांट के पीछे शनि बाजार पूजा कालोनी, थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद द्वारा दिनांक 27.01.2026 को वादिया के घर में घुसकर वादिया की पुत्री को ब्लेड से गले पर काटकर घायल कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 118(1)/333 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 118(1) बीएनएस का लोप कर धारा 109(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुकिम पुत्र मोतिन निवासी जानू पानी प्लांट के पीछे शनि बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त मुकिम ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं तथा वादिया ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते है तथा एक ही मौहल्ले में रहते है, जिस कारण मेरा उनके घर पर आना जाना है। घर पर आने जाने से मेरी वादिया की पुत्री से जान पहचान हो गयी। मैं उसको पसंद करने लगा, परन्तु वादिया मुझे नापसंद करती थी, जिस कारण एक दिन मुझे गुस्सा आ गया तथा मौका पाकर मैं दिनांक 27.01.2026 को वादिया के घर में घुस गया तथा उसकी पुत्री को जान से मारने की नियत से ब्लेड से गले पर काटकर घायल कर भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मुकिम पुत्र मोतिन निवासी जानू पानी प्लांट के पीछे शनि बाजार पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग व पोक्सो अधिनियम का 01 अभियोग (कुल 02 अभियोग) पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आज दिनांक 18.03.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त इरफान अली उर्फ ओझी पुत्र स्व0 शरीफ अली उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम

नाहली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद को थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा - 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह अवैध शस्त्र काफी समय पहले मेरे स्वर्गीय पिता शरीफ अली कहीं से लेकर आये थे जिनका इंतकाल हो चुका है। इसलिये मुझे जानकारी नही है कि कहां से लेकर आये थे। मैं यह अवैध तमंचा व कारतूस लेकर बाहर निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

इरफान अली उर्फ ओझी पुत्र स्व0 शरीफ अली उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।